रीको प्रशासन की प्रत्यक्ष आवंटन योजना से औद्योगिक निवेश को नई गति मिली

''राइजिंग राजस्थान'' समिट में 19 नवंबर तक सरकार के साथ एमओयू करने वाले निवेशकों के लिए आज से शुरू होगा 7वें चरण में आवंटन

-कार्यालय संवाददाता-

- रीको प्रशासन ने इस योजना के तहत राइजिंग राजस्थान समिट में एमओयू निष्पादित करने वाले उद्यमियों को अब तक 117 विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक व लॉजिस्टिक भूखण्ड उपलब्ध कराये हैं, जिनमें 31 नए औद्योगिक क्षेत्र भी शामिल है।
- इस योजना के तहत अभी तक 1070 निवेशकों को करीब 1877 करोड़ रुपये की भूमि आवंटित की जा चुकी है। जहां पर उद्यमियों द्वारा 15 हजार 274 करोड़ रुपये का निवेश होगा और करीब 30 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा

जयपुर। रीको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना में निवेशकों का रूझान लगातार बढ़ रहा है। अब तक इस योजना के छह चरण पूर्ण हो चुके हैं एवं सातवां चरण 5 दिसम्बर से प्रारंभ होगा। रीको प्रशासन ने इस योजना के तहत राइजिंग राजस्थान समिट में एमओयू निष्पादित करने वाले उद्यमियों को 117 विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक व लॉजिस्टिक भूखण्ड उपलब्ध कराये हैं, जिनमें 31 नए औद्योगिक क्षेत्र भी शामिल है। इस योजना के तहत अभी तक 1070 निवेशकों को भूमि जिसकी कीमत करीब 1877 करोड़ रुपये है, आवंटित की जा चुकी है। इन निवेशकों द्वारा किये गये एमओयू द्वारा लगभग 15 हजार 274 करोड़ रुपये का निवेश होगा और करीब 30 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा तथा राज्य के आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। रीको प्रबंध निदेशक शिवांगी स्वर्णकार ने बताया कि योजना के सातवें चरण में 108 औद्योगिक क्षेत्रों को शामिल किया है, जिसमें 7 नए औद्योगिक क्षेत्र धुंवाला (भीलवाड़ा), रूंध सौखरी (अलवर), बरोली (धौलपुर), पीपलूंद (भीलवाड़ा), कीडीमाल (भीलवाड़ा), सथाना-जनरल जोन (ब्यावर) तथा केकड़ी एक्सटेंशन (अजमेर) भी सम्मिलित हैं और करीब 6000 भूखण्ड आवंटन हेतु उपलब्ध हैं।

शिवांगी स्वर्णकार ने बताया कि "राइजिंग राजस्थान" के अंतर्गत 19 नवम्बर 2025 तक एमओयू करने वाले सभी निवेशक इस योजना के पात्र हैं और अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से 5 से 18 दिसम्बर तक ऑनलाइन ईएमडी जमा करवा कर आवेदन कर सकते हैं। ई-लॉटरी 23 दिसम्बर 2025 को निकाली जायेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक एमओयू शीघ्रता से धरातल पर उतरें और लोगों को रोजगार मिले। प्रत्यक्ष आवंटन योजना इसी उद्देश्य की पूर्ति करती है।

उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार ने "राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इनवेस्टमेंट समिट" का आयोजन 9 से 11 दिसंबर 2024 तक किया। मुख्यमंत्री की यह मंशा है कि राइजिंग राजस्थान के तहत एमओयू करने वाले उद्यिमयों को औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक भूखण्डों का आवंटन सीधे ही किया जाये, जिससे उद्यमी अपनी इकाइयाँ अल्प समय में ही लगा सकें। इसके अनुरूप राइजिंग राजस्थान के तहत किये गये एमओयू होल्डर्स को सीधे ही औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक भूखण्ड आवंटन करने के लिये मार्च-2025 में प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 जारी की गई। समाज के सभी वर्गों को इस योजना का लाभ मिले इसलिये एससी/एसटी, महिला वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, बेंचमार्क दिव्यांगता तथा सशस्त्र बलों/अद्धसैनिक बलों के मृतक के आश्रित के लिए भी भूखण्ड आरक्षित किये जाते हैं। योजना को पारदर्शी बनाने हेतु पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। आवेदन, ईएमडी एवं आवंटन पश्चात् की सभी तरह की सेवायें रीको के ऑनलाइन पॉर्टल पर उपलब्ध हैं। इस योजना के अंतर्गत एक भूखण्ड पर एक ही आवेदन होने पर सीधा ही भूखण्ड आवंटन होता है तथा एक से अधिक आवेदन होने पर ई-लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया जाता है।

ग्राम सेवक भर्ती में डमी अभ्यर्थी का मामला उजागर

एस.ओ.जी. ने दस हजार का इनामी दबोचा

लाडूराम विश्नोई

- डमी अभ्यर्थी निकला द्वितीय श्रेणी का शिक्षक

जयपुर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी)ने कार्रवाई करते हुए राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता पर लगातार प्रहार कर रहे जालसाजों के खिलाफ एसओजी की कार्रवाई जारी है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एसओजी विशाल बंसल ने बताया कि ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा-2016 के अत्यंत संवेदनशील मामले में डमी अभ्यर्थी बैठाकर नौकरी हासिल करने वाले मुख्य आरोपी और दस हजार के इनामी लाडूराम विश्नोई को गिरफ्तार कर लिया गया है।

एडीजी बंसल ने बताया कि यह पूरा मामला एसओजी को प्राप्त एक परिवाद के आधार पर उजागर हुआ। परिवाद में आरोप लगाया गया था कि ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा-2016 में अभ्यर्थी लाडूराम विश्नोई ने स्वयं परीक्षा नहीं दी, बल्कि अपनी जगह एक डमी अभ्यर्थी बैठाकर सरकारी नौकरी हथिया ली। जांच में ये तथ्य सही पाए जाने पर एसओजी ने तुरंत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया।

अनुसंधान के दौरान यह तथ्य सामने आया कि मुख्य आरोपी लाडूराम विश्नोई ने अपनी जगह परीक्षा देने के लिए गोपाल विश्नोई नामक व्यक्ति को हायर किया था। डमी अभ्यर्थी गोपाल विश्नोई पुत्र जगदीश विश्नोई निवासी बाड़मेर खुद द्वितीय ग्रेड शिक्षक के रूप में जोधपुर में नियुक्त था, जिसे एसओजी ने इस मामले में 19 दिसम्बर 2024 को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था।प्रकरण दर्ज होने के बाद से ही मुख्य आरोपी लाडूराम विश्नोई अपने घर से फरार था और लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। जिसके कारण उसकी गिरफ्तारी पर दस हजार का पुरस्कार घोषित किया गया था। एसओजी की टीम ने तकनीकी विश्लेषण, खुफिया सूचनाओं और लगातार निगरानी का सहारा लिया। अंत:1 दिसम्बर को एसओजी ने लाडूराम विश्नोई को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी लाडूराम निवासी धोरीमन्ना जिला बाड़मेर का रहने वाला है। एसओजी अब इस भर्ती धोखाधडी के पीछे के पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस विशाल बंसल ने स्पष्ट किया कि जांच का मुख्य फोकस यह पता लगाने पर है कि इस धोखाधडी में और कौन-कौन शामिल था, क्या अन्य अभ्यर्थियों ने भी यही तरीका अपनाया और क्या इसके पीछे कोई संगठित गिरोह काम कर रहा था। एसओजी ने दोहराया है कि योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया में फर्जीवाड़े को जड़ से खत्म किया जाएगा।

9 राज्यों में 10 लाख से अधिक सोलर इंस्टॉलेशन की तैयारी : मदन राठौड़

'प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना आमजन के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम'

- 'आम परिवारों को मुफ्त बिजली देने की दिशा में मोदी सरकार का महत्वपूर्ण कदम है यूएलए मॉडल'

जयपुर। राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन मॉडल के क्रियान्वयन को लेकर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से महत्वपूर्ण सवाल लगाए। राठौड़ ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत यूएलए मॉडल से देश के गरीब और आम परिवारों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

राठौड़ के सवाल के जवाब में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री श्रीपाद नाईक ने कहा कि यूएलए मॉडल का मुख्य लक्ष्य डिस्कॉम और राज्य-स्तरीय एजेंसियों के माध्यम से कम आय वाले परिवारों को सौर ऊर्जा उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपने घर की छतों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाकर मुफ्त बिजली का लाभ ले सकें।

राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने बताया कि भारत सरकार गरीब परिवारों तक मुफ्त सौर ऊर्जा पहुंचाने के लक्ष्य के साथ तेजी से आगे बढ़ रही है। इस दिशा में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत लागू किए जा रहे यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन (यूएलए) मॉडल को सदन में विशेष रूप से उठाया गया। कार्य को आसान और मजबूत बनाने के लिए मंत्रालय ने परिचालन दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है। इसके साथ ही भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु पेमेंट रिलीज़ मैकेनिज्म अधिसूचित किया गया है, जिसके अनुसार सत्यापन के तुरंत बाद केंद्रीय वित्तीय सहायता सीधे वेंडर के बैंक खाते में भेजी जाती है। सीएफए (केंद्रीय वित्तीय सहायता) एक ही किस्त में तब जारी होती है, जब रूफटॉप सौर संयंत्र का सफलतापूर्वक स्थापन, परीक्षण और संचालन पूरा हो जाता है। यह व्यवस्था भ्रष्टाचार और देरी पर प्रभावी रोक लगाती है और जनता को शीघ्र लाभ सुनिश्चित करती है जो मोदी सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने बताया कि यूएलए मॉडल को अभी तक 9 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में सैद्धांतिक मंजूरी दी जा चुकी है।

इसमें आंध्र प्रदेश, ओडिशा, असम, केरल, जम्मू-कश्मीर, अंडमान एवं निकोबार, लद्दाख, दादरा-नगर हवेली-दमन-दीव और तेलंगाना शामिल हैं। इन राज्यों में कुल 10 लाख 37 हजार 543 रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन को स्वीकृति प्रदान की गई है, जो भविष्य में लाखों परिवारों को सशक्त बनाने वाला कदम है। यह संकेत है कि आने वाले महीनों में इसका विस्तार और गति और बढ़ने वाली है।

नेता प्रतिपक्ष भ्रमित न करे, दलित अत्याचारों में आई कमी : मदन दिलावर

जयपुर (कासं)। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने नेता प्रतिपक्ष टीका राम जूली के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वर्तमान में प्रदेश में कानून व्यवस्था चाक-चौबंद है और अपराधों में लगातार कमी आ रही है। नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस के लोगों को भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। मदन दिलावर ने कहा कि एससी-एसटी अत्याचार के कुल अपराधों में नवम्बर 2023 की तुलना में नवम्बर 2025 में 28.23 प्रतिशत की कमी आई है और नवम्बर 2024 की तुलना में नवम्बर 2025 में 17 प्रतिशत की कमी आई है। इसके अलावा एससी-एसटी अत्याचार के मामलों में अनुसंधान करने के समय में भी काफी कमी आई है और किसी भी प्रकार की आपराधिक घटना की सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई हो रही है।

जयपुर में नकली नोट खपाने वाले दो आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 81 हजार 700 रुपए कीमत के नकली नोट, नकली पट्टे और फर्जी सील भी बरामद की

विद्याधर नगर पुलिस ने नकली नोट छापने वाले दो आरोपी पकड़े।

जयपुर। विधाधर नगर पुलिस और जिला स्पेशल टीम उत्तर (डीएसटी) ने कार्रवाई करते हुए राजधानी में नकली नोट खपाने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 81 हजार 700 रुपए कीमत के नकली नोट,नकली पट्टे और फर्जी सील भी बरामद हुई हैं। पुलिस इस गिरोह से जुडे अन्य लोगों के बारे पता लगा रही है।

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर बजरंग सिंह शेखावत ने बताया कि विधाधर नगर थाना पुलिस और डीएसटी उत्तर ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नकली नोट के साथ विशाल रावत और हरिकृष्ण बाहेती उर्फ गुरुजी को गिरफ्तार किया है। उनके पास नकली नोट के साथ ही अलग-अलग सोसायटी और जेडीए के नकली पट्टे, फर्जी सील भी मिली हैं। उनके कब्जे से 81 हजार 700 रुपए कीमत के 100-200 रुपए के नकली नोट मिले हैं।

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी नकली नोट बाजार में खपाने के लिए एक गिरोह के रूप में काम करते थे। इस गिरोह का सरगना नकली नोट बाजार में चलाने के बदले अपने गुर्गों को 25 फीसदी कमीशन देता था। बाकि रकम खुद रखता था। यह गिरोह नकली नोट बाजार में खपाने के साथ ही फर्जी पट्टे बनाने और सील बनाने का काम भी करते थे। पकड़े गए दोनों आरोपी फर्जी सील बनाने में माहिर हैं। आरोपित ये नकली नोट कहां से लाते और अब तक कितने नोट किसके माध्यम से बाजार में खपाए गए हैं। इसके साथ ही नकली पट्टे और सील का कहां-कहां उपयोग किया गया है। इसके बारे में भी पड़ताल की जा रही है। वहीं पुलिस इस गिरोह से जुडे अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। अब तक की पड़ताल में सामने आया है कि नकली नोट बनाने और इन्हें बाजार में खपाने में कुछ और लोग भी इनकी मदद करते थे। उनकी भी आगे गिरफ्तारी होगी।

आरएएस भर्ती-2023 के भूतपूर्व सैनिक कोटे की मैरिट लिस्ट में संशोधन करें : हाईकोर्ट

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और आरपीएससी को कहा है कि वह आरएएस भर्ती-2023 में भूतपूर्व सैनिक कोटे की अंतिम मेरिट लिस्ट से अपात्र अभ्यर्थी को हटाकर जरूरी संशोधन करें। जस्टिस अशोक कुमार जैन ने यह आदेश नरेन्द्र सिंह व अन्य की याचिका पर दिए।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और आरपीएससी की ओर से अधिवक्ता एमएफ बेग ने कहा कि उन्होंने 2023 की आरएएस भर्ती के भूतपूर्व सैनिक कोटे में एक अभ्यर्थी घेवर राम को अपात्र पाने पर लिस्ट से हटा दिया है। जिस पर अदालत ने कहा कि वे इस कोटे की मेरिट लिस्ट को संशोधित करें।याचिका में अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने बताया कि अदालत को बताया कि आरपीएससी ने साल 2023 में आरएएस और अधीनस्थ सेवा के पदों के लिए भर्ती निकाली थी।

जिसमें प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के बाद साक्षात्कार आयोजित कर गत 15 अक्टूबर 2025 को अंतिम परिणाम जारी किया गया। इसमें आरपीएससी ने बिना तथ्यों को देखे ही भूतपूर्व सैनिक कोटे में अपात्र अभ्यर्थी का चयन कर दिया। वहीं अब राज्य सरकार उसे नियुक्ति देने जा रही है। जबकि वह नियम, 1988 के तहत वह अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक नहीं है। भूतपूर्व सैनिक के तौर पर पेंशन प्राप्त करना और न्यूनतम 20 साल सेना में रहना जरूरी है। इस अभ्यर्थी ने नेवी में कम सेवा की है और स्वेच्छा से ही नौकरी छोडी है और उसे पेंशन भी नहीं मिल रही है। ऐसे में उसे भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। इसलिए भूतपूर्व सैनिक कोटे की लिस्ट को संशोधित किया जाए। जिस पर पूर्व में सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार और आरपीएससी को तथ्य की जांच के लिए कहा था।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से याचिकाकर्ता के दावे को सही बताने पर अदालत ने भूतपूर्व सैनिक कोटे की संशोधित मेरिट लिस्ट जारी करने को कहा है।

विवाह योग्य उम्र नहीं रखने वाले बालिग भी रह सकते हैं साथ : हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक प्रेमी युवक को सुरक्षा देने से जुडे मामले में टिप्पणी की

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक प्रेमी युवक को सुरक्षा देने से जुडे मामले में कहा है कि विवाह योग्य उम्र नहीं रखने वाले बालिग युवक-युवती अपनी मर्जी से साथ रह सकते हैं। वहीं अदालत ने नोडल अधिकारी को कहा है कि वह याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अभ्यावेदन को विधि अनुसार तय करें और जरूरत पडने पर उन्हें सुरक्षा मुहैया कराए। जस्टिस अनूप कुमार ने यह आदेश 18 वर्षीय युवती और 19 वर्षीय युवक की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।अदालत ने कहा कि लिव इन संबंध न तो अवैध हैं और ना ही बिना विवाह साथ रहना अपराध माना गया है। यह राज्य सरकार का दायित्व है कि वह हर नागरिक के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करे। अदालत ने कहा कि मानव जीवन का अधिकार व्यक्ति के बालिग या नाबालिग होने से ऊपर है। याचिकाकर्ताओं की विवाह योग्य उम्र नहीं होने के कारण उन्हें उनके मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि समाज या परिवार की आपत्ति किसी भी तरह से याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती।याचिका में अधिवक्ता सत्यम खंडेलवाल ने अदालत को बताया कि 18 वर्षीय याचिकाकर्ता युवती और 19 वर्षीय याचिकाकर्ता युवक आपस में विवाह करना चाहते हैं, लेकिन अभी युवक की विवाह योग्य उम्र नहीं हुई है। ऐसे में विवाह योग्य उम्र होने तक वे एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने गत 27 अक्टूबर को लिव इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट भी बनाया है। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता युवती के परिजन इसके खिलाफ हैं और उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस पर वे नोडल अधिकारी कुनाडी थानाधिकारी, कोटा के समक्ष गत 13 और 17 नवंबर को जाकर अभ्यावेदन पेश कर सुरक्षा मांगी, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे में उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। जिसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता विवेक चौधरी ने कहा कि कानून में लडका-लडकी की विवाह योग्य उम्र 21 और 18 साल है। मामले में याचिकाकर्ता युवक 19 साल का ही है। ऐसे में न तो वे अभी विवाह कर सकते हैं और ना ही लिव इन में रह सकते हैं। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने नोडल अधिकारी को निर्देश दिए हैं।

एलआईसी की प्रोटेक्शन प्लस और बीमा कवच योजना लॉन्च

जयपुर। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने अपने ग्राहकों के लिए दो नई और आकर्षक बीमा योजनाएं शुरू की है। एलआईसी के सीईओ और एमडी आर. दोराइस्वामी ने इन नई योजनाओं, एलआईसी प्रोटेक्शन प्लस (प्लान 886) और एलआईसी बीमा कवच (प्लान 887) को लॉन्च किया है।

उन्होंने बताया कि प्रोटेक्शन प्लस प्लान एक नॉन-पर, लिंक्ड, लाइफ, इंडिविजुअल, सेविंग्स प्लान है, जो बीमा सुरक्षा के साथ-साथ बचत का भी लाभ प्रदान करता है। इस योजना में जीवन बीमा सुरक्षा के अतिरिक्त निवेश फंड चुनने, सम एश्योर्ड को बढ़ाने/घटाने और टॉप-अप प्रीमियम जमा करने की सुविधा उपलब्ध है। पॉलिसीधारक 5 साल बाद आंशिक निकासी कर सकते है। प्रीमियम भुगतान के लिए रेगुलर पे या लिमिटेड पे दोनों विकल्प मौजूद है। यह 18 से 65 वर्ष की उम्र के लोगों के लिए होगी।

इसमें न्यूनतम सम एश्योर्ड 50 वर्ष से कम आयु वालों के लिए वार्षिक प्रीमियम का 7 गुना और 50 वर्ष या अधिक आयु वालों के लिए वार्षिक प्रीमियम का 5 गुना निर्धारित किया गया है। पॉलिसी अवधि पूरी होने पर, यूनिट फंड वैल्यू (बेस प्रीमियम फंड और टॉप-अप फंड) का भुगतान किया जाएगा। साथ ही, पॉलिसी अवधि में काटे गए मॉर्टेलिटी चार्जेज भी वापस कर दिए जाएंगे। इसी प्रकार बीमा कवच प्लान एक नॉन पार, नॉन लिंक्ड, लाइफ, इंडिविजुअल, प्योर रिस्क प्लान है। जो पॉलिसी अवधि के दौरान होने वाली असमय मृत्यु की स्थिति में परिवार को वित्तीय सुरक्षा देता है। यह प्लान भी 18 से 65 वर्ष के लोगों के लिए है। इसमें न्यूनतम सम एश्योर्ड 2 करोड़ रुपए होगा। ग्राहकों को प्रीमियम भुगतान के लिए सिंगल, लिमिटेड (5,10,15) तथा रेगुलर मोड का विकल्प मिलेगा।

राज्य सरकार लगाएगी 7 दिवसीय शहरी समस्या समाधान शिविर

17 से 24 दिसम्बर तक होगा आयोजन, अफसरों ने की तैयारियों पर चर्चा

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव देबाशीष पृष्टि तथा स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने डीएलबी मुख्यालय के सभागार में संयुक्त बैठक ली।

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व एवं नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा के निर्देशन में राज्य सरकार द्वारा शहरी नागरिकों की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के उद्देश्य से 17 से 24 दिसम्बर तक 7 दिवसीय शहरी समस्या समाधान शिविर-2025 आयोजित किए जाएंगे। इनकी तैयारियों को लेकर गुरुवार को नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव देबाशीष पृष्टि तथा स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने डीएलबी मुख्यालय के सभागार में संयुक्त बैठक ली।

बैठक में दोनों विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने शिविरों की रूपरेखा, क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग तथा जनसुविधाओं को सुचारु रूप से सुनिश्चित करने संबंधी सभी बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए ।उल्लेखनीय है कि इन शिविरों में शहरी सेवा शिविर-2025 के तहत दी गई सभी छूट एवं शिथिलताएँ यथावत लागू रहेंगी।

बैठक के दौरान प्रमुख शासन सचिव देबाशीष पृष्टि ने निर्देश दिए कि राज्य सरकार की मंशानुसार शहरी समस्या समाधान शिविर-2025 का आयोजन राज्य की प्रत्येक नगरीय निकाय एवं प्राधिकरण पर अनिवार्य रूप से किया जाए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि शिविरों में लंबित प्रकरणों के साथ-साथ प्राप्त होने वाले सभी नए आवेदनों का निस्तारण शिविर स्थल पर ही उसी दिन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। शिविर का समय प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक निर्धारित रहेगा, और यदि किसी प्रकरण का कार्य निर्धारित समय तक लंबित रहता है तो शिविर को कार्य पूर्ण होने तक जारी रखा जाएगा। उन्होंने सभी जैसे की ई सम्पर्क इत्यादि पर आने वाली सभी शिकायतों को गंभीरता पूर्वक तत्काल निराकरण के निर्देश भी दिये ।

शासन सचिव रवि जैन ने सभी नगरीय निकायों को निर्देशित किया कि शिविरों को अधिकतम परिणामकारी बनाने हेतु पूर्व-तैयारी से लेकर अंतिम निस्तारण तक सभी व्यवस्थाएँ मजबूत रखें। साथ ही अपने क्षेत्र से जुडे जनप्रतिनिधियों से संवाद कर उस क्षेत्र के निवासियों की समस्याओं को दूर करने की कार्ययोजना तैयार करें ।

उन्होंने बताया कि प्रमुख एवं फॉलो अप शिविर में पट्टों से संबंधित प्रकरणों में 39 हजार 800 प्रकरणों का निस्तारण किया गया था इसी के साथ ही अन्य भूमि से संबंधित प्रकरणों में 20 हजार 888 प्रकरणों का निस्तारण भी किया गया। जिनमें नाम हस्तान्तरण के 10 हजार 30 प्रकरण, यू.डी. टैक्स के 3 हजार 987 प्रकरण, भवन मानचित्र के 3 हजार 554 प्रकरण, भूखण्डों के उप विभाजन/पुर्नगठन के 1 हजार 753 प्रकरण, निर्माण अवधि विस्तार के 776 प्रकरण, नगरीय विकास/आवासन मण्डल द्वारा ब्याज छूट देकर की गई वसूली के 365 प्रकरण तथा भू-उपयोग परिवर्तन के 423 प्रकरणों स्वीकृत किया गया तथा घर-घर कचरा संग्रहण के 43 हजार 269 प्रकरणों का भी निस्तारण एवं व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के 4 हजार 977 आवेदनो का अनुमोदन कर प्रथम किश्त जारी करने के प्रकरण शामिल है।

बैठक में स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक प्रतीक जुईकर, अतिरिक्त निदेशक सीमा, मुख्य अभियंता अरुण व्यास सहित सभी नगरीय निकायों और नगरीय विकास न्यास के उच्च अधिकारी उपस्थित रहे ।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एसएसएएटी की बैठक

जयपुर। वर्ष 2022-23 व 2023-24 के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन व विभिन्न वर्षों के लेखों तथा अंकेक्षण रिपोर्ट का हुआ अनुमोदनजयपुर । मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी(एसएसएएटी) की शासी निकाय की चतुर्थ बैठक आयोजित की गयी। इस दौरान सोसायटी की ओर से महात्मा गांधी नरेगा योजना, प्रधान मंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, 15वां वित्त आयोग, मिड-डे-मील तथा केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण की प्रगति का अवलोकन किया गया। साथ ही वर्ष 2025-26 में मनरेगा योजना के अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, समग्र शिक्षा योजना, भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल की योजनायें और सामाजिक सुरक्षा पेंशन व सहायता योजना का सामाजिक अंकेक्षण किये जाने का अनुमोदन किया गया। इसी प्रकार वर्ष 2022-23 व 2023-24 के वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन व विभिन्न वर्षों के लेखों तथा अंकेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया। मुख्य सचिव ने सोसायटी की बैठक नियमित रूप से आयोजित करने, सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में वर्णित इश्यूज के बारे में प्रभावी कार्यवाही करने, सामाजिक अंकेक्षण दल का मुख्यालय से समय-समय पर निरीक्षण किये जाने के निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग श्रेया गुहा, प्रमुख महालेखाकार राजस्थान, शासन सचिव वित्त बजट, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग, आयुक्त मनरेगा, निदेशक, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग एवं निदेशक सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी उपस्थित रहे।

भर्ती परीक्षा पर रोक के खिलाफ अपील पेश, सुनवाई आज

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपीठ की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती-2025 की सात दिसंबर से होने वाली परीक्षा पर रोक लगाने के अंतरिम आदेश के खिलाफ आरपीएससी की ओर से खंडपीठ में अपील पेश की गई है। खंडपीठ अपील पर शुक्रवार को सुनवाई करेगी।

अपील में अधिवक्ता एमएफ बेग ने कहा कि आयोग की ओर से परीक्षा को लेकर आयोग की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। यह परीक्षा संभाग स्तर पर आयोजित की जानी है और इसमें करीब 92 हजार अभ्यर्थी शामिल होंगे। अपील में कहा गया कि साल 2024 में भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था और सिलेबस जारी कर उसे वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। वहीं बाद में इस भर्ती को रद्द कर नियमों में बदलाव कर साल 2025 में भर्ती निकाली गई थी।